Fishing Policy, the New Deep Sea Fishing Policy of 1991 involving Joint Venture, Lease and Test Fishing has been rescinded. The Charter Policies of 1981 and 1986 have also been phased out. No renewal, extension or new licences have since been granted. In regard to cancellation of permits, it has been decided that it can be done only on violation of the provisions of the MZI Act 1981, rules/orders thereunder and terms and conditions of the approvals in individual cases in consultation with the Ministry of Law & Justice.

(b) No, Sir.

खर-पतवार को नष्ट किया जाना

2256. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी, 1997 को धान की फसलों में वृद्धि हेतु खर-पतवारों को नष्ट करने की दृष्टि से रसायनों पर अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी स्वीकृति दे देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) धान की फसलों में वृद्धि हेतु खर-पतवार को नष्ट करने की दृष्टि से रसायनों पर अनुदान देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से 21 फरवरी, 1997 का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार ने नई दिल्ली में नियुक्त अपने आवासीय आयुक्त और प्रधान सचिव के माध्यम से दिनांक 4 अगस्त, 1997 के फैक्स संदेश में धान की फसलों के लिए खरपतवार-नाशियों पर राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) राजसहायता पर खरपतवार-नाशी वितरित करने के लिए राज्यों को कोई अनुदान प्रदान करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित "चावल और गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी-चावल और आई सी डी पी-गेहूं)" के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मिट्टी में जिंक सल्फेट की कमी

2457. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा धान की खेती वाली कुल भूमि के आधे भाग में जिंक सल्फेट की कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धान, मक्का तथा गेहूं के लिए जिंक सल्फेट एक आवश्यक पौष्टिक तत्व है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 1994-95 के प्रावधान की भांति अनुदान देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यादृच्छिक रूप से एकत्रित 28477 मृदा नमूनों के विश्लेषण के अनुसार, यह देखा गया है कि उनमें से लगभग 40 प्रतिशत में जिंक की कमी है। सभी फसलों के लिए जिंक एक अनिवार्य पौध-पोषक तत्व है। जिन्क सल्फेट वह उर्वरक है जिसे फसलों के लिए जिंक के स्रोत के रूप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) फसल-उत्पादन में जिंक की उपयोगिता प्रदर्शित करने के विचार से, 1994 से पूर्व अनाज वाली फसलों के उत्पादन की योजनों के तहत जिंक सल्फेट के प्रयोग के लिए सहायता दी गई थी। सहायता दिए जाने की स्कीम अब समाप्त कर दी गई है क्योंकि किसानों ने फसल उत्पादन में जिंक का प्रयोग करने की पद्धति को सामान्य तौर पर अपना लिया है।

Brackishwater Aquaculture in Gujarat

2458. SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are implementing Central Sector Scheme on Brackishwater aquaculture in Gujarat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what other Central Schemes Government propose to implement in the State for enhancing production of fish and living standard of fishermen?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Yes, Sir. Under the Centrally Sponsored Scheme, "Development of Integrated Coastal Aquaculture" three Brackishwater Fish Farmers Development Agencies (BFDAs) have been set up in the districts of Valsad, Bharuch and Surat which provide package of technical financial and extension support to shrimp farmers.

(c) The following Central/Centrally Sponsored Schemes are inter alia also implemented in Gujarat for enhancing production of fish and living standard of fishermen;

(i) Development of Freshwater Aquaculture through Fish Farmers Development Agencies (FFDAs)

(ii) Development of Marine Fisheries through Motorisation Programme and Reimbursement of Central Excise Duty on HSD oil supplied to fishing vessels below 20 metre length.

(iii) Fishing Harbour Facilities at Major and Minor Ports.

(iv) Training and Extension Scheme.

(v) National welfare of Fishermen through Group Accident insurance of Farmers and Development of Model Fishermen Villages.

2459. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of charted foreign deep sea fishing vessels operating in Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) at present;

(b) the number ot joint venture deep sea fishing vessels operating in Indian EEZ and the names of the companies operating them;

(c) the nunber of leased foreign deep sea fishing vessels operating in Indian EEZ and the names of companies operating them; and

(d) the value of the export of marine products from these sectors during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) There is no chartered vessel operating in India EEZ at present.

(b) There are 19 vessels operating in EEZ under joint venture. Name of the companies operating them are:—

(1) M/s New Oriental Trawlers Pvt. Ltd.

(2) M/s Indamar Fisheries Pvt. Ltd.

(3) M/s Ting Tai India Ltd.

(4) M/s Marine Resource International

(5) M/s Dragon Fisheries Ltd.

(6) M/s Inko Fisheries Pvt. Ltd.

(c) There are 19 leased vessels operating in EEZ.

Name of companies operating them are:-

(1) M/s Port Blair Manish -A-Trading Company Pvt. Ltd.

(2) M/s Sovin Sea Foods Pvt. Ltd.

(3) M/s Andaman Marine products Development Company

(4) M/s Andaman Fishries Pvt. Ltd.

(5) M/s A.K. International

(6) M/s Moon Marine India

(d) The total value of export of marine products for last three years is as follows:—

Year	Quantity (Thousand Mt)	Value (Rs. Crores)
1995-96	296.3	3501.11
1996-97	378.2	4121.36
1997-98	379.6 (P)	4642.93 (P)